दैनिक न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, गुरुवार 31 अक्टूबर 2019
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

सुने मकान की ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित 25 हजार रूपये की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर अन्तर्गत ग्राम लेन्धा छोटे के प्री0मै0अ0जा0कन्या छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती खिलेश्वरी नायक पति मनोज नायक उम्र 26 वर्ष दिनांक 26.10.2019 के शाम दीपावली के अवकाश में अपने लेन्धा के मकान पर ताला लगाकार गांव देवगांव गई थी। दिनांक 29.10.2019 को अवकाश से वापस अपने निवास स्थान आई तब देखी कि घर दरवाजा का ताला टुटा हुआ था रूम अंदर जाकर चेक किये तो अलमारी खुला और कपड़े तथा अन्य सामान अस्त व्यस्त पड़े थे। घर के आलमारी में रखा हुआ सोने चांदी का जेवरात और नगदी रकम 25000 रूपये (जुमला 80,800 रूपये) को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। चोरी की रिपोर्ट पर थाना कोसीर में अप.क्र. 145/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ कार्यक्रम आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कलेक्टोरेट प्रांगण में पूर्वान्ह 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी। कलेक्टर रायगढ़ ने सर्वसंबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को नियत समय में शपथ कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है।

महिलाओं के लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में कार्यस्थल में दण्ड संबंधी परिणामों का पटल प्रदर्शन करने के निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के सर्वविभाग प्रमुख को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न हेतु गठित स्थानीय समिति और संबंधित आंतरिक शिकायत समिति के विशिष्ट बिन्दुओं का विवरण के साथ दण्ड संबंधी परिणामों को सभी कार्यस्थलों में पटल पर प्रदर्शन करने तथा की गई कार्यवाही को महिला एवं बाल विकास कार्यालय रायगढ़ में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है।

डीआरजी जवान ने की आत्महत्या

जगदलपुर (आरएनएस)। जगदलपुर में एक डीआरजी जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक जवान पहले नक्सली था। तीन साल पहले उसने आत्मसमर्पण किया था और मुख्यधारा में लौटा था। जिसके बाद उसे पुलिस विभाग में नौकरी मिली थी। वह दरभा थाने में पदस्थ था। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

स्कूल चौकीदार का दो दिन पुराना शव मिला

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर स्थित साइंस सेंटर के पास दलदल सिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल के चौकीदार का शव बरामद हुआ है। शव दो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ताराचंद ढ़ीढ़ी है जो कि दलदल सिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल में चौकीदारी करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पंडरी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर में किसी भी प्रकार से कोई चोट का निशान नहीं हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत

बीजापुर (आरएनएस)। बीजापुर जिले के आवापल्ली स्थित नुकनपाल में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई है। जिसमें 7 गाय और 3 बकरियां शामिल है। सभी मवेशी बाहर चरने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान तेज बारिश शुरु हो गई। जिसके बाद मवेश एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और सभी मवेशी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।

सरकार ने नगरीय निकायों में राइट टू रीकॉल खत्म किया

» अब महापौर-अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही हटाए जा सकेंगे

रायपुर (आरएनएस)। सरकार ने नगरीय निकायों में राइट टू रिकाल कानून को खत्म कर दिया है। अब महापौर-अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही हटाए जा सकेंगे। पहले मतदान के जरिए महापौर अथवा अध्यक्ष को आम जनता हटा सकती थी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मिडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार राइट टू रिकाल अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। यानी कामकाज में असंतुष्ट होने पर जनता महापौर या अध्यक्ष को मतदान कर वापस बुला सकती थी। सरकार अब इस व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। राज्यपाल ने कुछ दिन पहले ही नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। डॉ. शिव डहरिया ने बताया कि अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही महापौर और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों द्वारा लाया जा सकता है। राइट टू रिकाल व्यवस्था खत्म करने के लिए नियम में संशोधन किया जाएगा। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है।

युवक पर लोहे के हथियार से प्राणघातक हमला करने वाले दो हमलावर गिरफ्तार

तेज रफ्तार बाइक चलाने की बात को लेकर हुई घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत दिनांक 29 अक्टूबर के शाम करीब 7:00 बजे कयाघाट दुर्गा मंदिर के पास कयाघाट में रहने वाले पप्पू चौहान, महावीर मनहर उर्फ बोन्दल तथा उड़े अपने साथियों के साथ मोहल्ले के युवक कन्हैया मल्होत्रा (उम्र 26 साल) को तुम्हारा भाई बाइक चलाते समय रोकता-टोकता है कहकर नारियल काटने के खुखरी, लाठी-डंडों से मारपीट कर चोट पहुंचाए। आहत कन्हैया मलहोत्रा को केजीएच रायगढ़ में ईलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं घटना के दो आरोपियों को जूटमिल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार कयाघाट में रहने वाले पप्पू चौहान, महावीर उर्फ बोन्दल मनहर , उड़े एवं उसके साथियों को मोहल्ले में रहने वाले किशन मल्होत्रा मोहल्ले में तेज रफ्तार बाइक चलाने के लिए रोक-टोक कर मना किया था। इसी बात को लेकर दिनांक 29.10.2019 के शाम करीब 7:00 बजे पप्पू चौहान, महावीर उर्फ बोन्दल मनहर, उड़े एवं उसके साथी एक राय होकर मोटर सायकल रफ्तार में चलाने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए किशन मल्होत्रा को ढूंढते हुए उसके घर के पास आए, जहां किशन मल्होत्रा नहीं मिलने पर उसके भाई कन्हैया मल्होत्रा को कहा है तुम्हारा बड़ा भाई, हमें मोटरसाइकिल मोहल्ले में तेज रफ्तार से चलाते हो कहकर हमेशा बोलता रहता है कहकर गाली गुप्तार कर आरोपी महावीर उर्फ बोन्दल अपने पास रखे नारियल काटने वाले लोहे के खुखरी से कन्हैया मल्होत्रा के ऊपर सिर, गर्दन एवं बाएं भुजा में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया तथा आरोपी पप्पू चौहान और उसके साथी लाठी-डंडा से कन्हैया मल्होत्रा को मारपीट किये।

घटना के संबंध में आहत के बड़े भाई बलराम मल्होत्रा पिता बेदराम मल्होत्रा 36 साल के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली (जुटमिल) में अप.क्र. 947/19 धारा 294,307,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जूटमिल प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा अपने स्टाफ के साथ आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा है। दो आरोपी - (1) पप्पू चौहान पिता दाताराम चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी कयाघाट दुर्गा मंदिर के पास जुटमिल (2) महावीर उर्फ बुंदेल मनहर पिता कौशल मनहर उम्र 19 साल जेलपारा मुक्तिधाम के पास जुटमिल को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें उपरोक्त प्रकरण में आज रिमांड पर भेजा गया है। शेष आरोपियों के मिलने के हर सम्भावित स्थानों पर जुटमिल पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है।

शराबी पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम चवंरपुर में रहने वाले मरियानुस कुजूर पिता लुकस कुजूर उम्र करीब 38 वर्ष द्वारा अपनी पत्नी कुतिला कुजूर 35 वर्ष को गांव के आगे डुक्काटोंगरी जंगल में गला दबाकर हत्या कर शव को घर ले आया। घटना की रिपोर्ट सरपंच प्रतिनिधि रंजित बड़ा द्वारा आज थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 29-10-19 को गांव का मरियानुस कुजूर अपनी पत्नी श्रीमती कुतिला कुजूर के साथ कमिल के यहां हंडिया शराब पीने गया था। दोनों पति-पत्नी हंडिया शराब पीकर घर वापस आ रहे थे कि शाम करीब 16.00 बजे रास्ते में दोनों में आपसी विवाद हुआ और मरियानुस कुजूर डुक्काटोंगरी जंगल में ही अपनी पत्नी श्रीमती कुतिला कुजूर की गला दबाकर हत्या कर दिया और शव को अपने घर ले आया। रात्रि में मरियानुस के घर आसपास रहने वालों से पता चलने पर गांव के लोग मरियानुस कुजूर के घर जाकर देखे और उससे पूछताछ किये तो मरियानुस कुजूर ने अपनी की गला दबाकर हत्या कर देना बताया। घटना की रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 245/19 धारा 302 भादवि मरियानुस कुजूर के विरूद्ध दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है।

भू-अर्जन मुआवजे की राशि के वितरण के कार्य में गति लायें एसडीएम-कलेक्टर

» साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम से कहा कि भू-अर्जन के मुआवजा राशि वितरण के कार्य में गति लायें और शिविर लगाकर मुआवजा राशि वितरित करें। उन्होंने कहा कि शिविर में विशेष रूप से बैंक के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और किसानों के काउसिलिंग करेंगे, ताकि वे चिटफंड कंपनी के शिकंजे में न फंसे। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि मिलने के बाद यह देखा गया है कि चिटफंड कंपनियां किसानों को ठग लेती है। किसान अपनी मुआवजा राशि सुरक्षित रखें, इसके संबंध में बैंक के अधिकारी उन्हें मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने लीड बैंक के अधिकारी को निर्देशित किया कि बैंक के अधिकारी अनिवार्य रूप से शिविर में उपस्थित रहें। कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 एवं फसल क्षति की सही रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फसल क्षति की रिपोर्ट निरंक भेजना ठीक नहीं है, इसकी फील्ड रिपोर्ट बेहद जरूरी है ताकि पात्र किसान मुआवजा से वंचित न हो। सभी एसडीएम से उन्होंने कहा कि पटवारी फील्ड में जाकर जानकारी संग्रहित कर रिपोर्ट तैयार करें। किसान कृषि बीमा के लिए एसडीएम एवं तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है, इसके लिए गांव में मुनादी करवायें। उन्होंने एसडीएम को हिदायत देते हुए कहा कि राजस्व विभाग अपने कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लायें, विशेषकर पटवारियों के प्रति सख्ती बरतें और उन्हें फील्ड में जाकर कार्य करने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि घर गिरने की स्थिति में एसडीएम की ओर से जानकारी आना चाहिए और इसमें हुए क्षति का आंकलन करके भी भेजें। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन्स)एक्ट 2015 के तहत राज्य में आबंटित कोल ब्लाकों की जानकारी माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में अद्यतन स्थिति की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा। उन्होंने ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के परिपालन के लिए बनाये गये एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता से कहा कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है इसकी मरम्मत करायें और सड़क निर्माण कार्य चालू करायें। पीएमजीएसवाय के कार्यपालन अभियंता से कहा कि सड़कों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा, सहायक कलेक्टर संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

युवा महोत्सव में 18 विधाओं के साथ 17 पारम्परिक एवं अन्य गतिविधियां को किया गया शामिल

» युवा महोत्सव के लिए विकासखण्डवार तिथि एवं स्थल निर्धारित

» युवा महोत्सव आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव 2019 के आयोजन के संबंध में आज बोईरदादर स्टेडियम में समस्त नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

युवा महोत्सव में 18 विधाओं के साथ 17 पारम्परिक एवं अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसके संबंध में नियम-निर्देश की प्रतियां, आयु वर्ग, विकासखण्डों में प्रचार-प्रसार तथा विकासखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई समिति के माध्यम से विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव के संबंध में जानकारी दी गई। युवा महोत्सव के लिए समस्त विकासखण्डों में एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति के माध्यम से सभी विभागों के सहयोग से उक्त आयोजन को कराने के निर्देश दिए गए है।

युवा महोत्सव के लिए विकासखण्डवार प्रस्तावित तिथि एवं स्थल का निर्धारण किया गया है। जिसमें 15 नवम्बर को मंगल भवन पुसौर, 3 नवम्बर को शा.उ.मा.विद्यालय मैदान बरमकेला, 20 नवम्बर को बैडमिंटन हॉल बोईरदादर स्टेडियम रायगढ़, 17 एवं 18 नवम्बर को खेलभांठा सारंगढ़, 15 नवम्बर को तमनार, 7 नवम्बर को हाईस्कूल घरघोड़ा, 13 नवम्बर को इंद्रप्रस्थ स्टेडियम लैलूंगा, 12 एवं 13 नवम्बर को क्लब हॉल धरमजयगढ़ एवं 15 नवम्बर को खरसिया के ऑडिटोरियम में आयोजन होगा।

युवा महोत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकी (हिन्दी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी), शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी शैली), शास्त्रीय गायन (कर्नाटक शैली), सितार वादन (शास्त्रीय वादन), बांसुरी वादन (शास्त्रीय वादन), तबला वादन (शास्त्रीय वादन), वीणा वादन (शास्त्रीय वादन), मृदंगम वादन (शास्त्रीय वादन), हारमोनियम वादन (सुगम वादन), गिटार वादन (भारतीय एवं पाश्चात्य), मणिपुरी (शास्त्रीय नृत्य), ओडिसी (शास्त्रीय नृत्य), भरत नाट्यम (शास्त्रीय नृत्य), कत्थक (शास्त्रीय नृत्य), कुचिपुड़ी (शास्त्रीय नृत्य), वक्तृत्व कला (तात्कालिक भाषण) शामिल है। उक्त विधाओं के अतिरिक्त गेड़ी नाचा, राउत नाचा, डंडा नाचा, रॉक बैंड, पारम्परिक वेशभूषा, फूड फेस्टिवल, चित्रकला प्रतियोगिता (छ.ग.लोक संस्कृति के आधार पर), क्विज, निबंध को शामिल किया गया है।

इनमें से गेड़ी नाचा, डंडा नाचा, रॉक बैंड, पाम्परिक वेशभूषा, फूड फेस्टिवल, चित्रकला के प्रतिभागी सीधे राज्य स्तर के युवा महोत्सव के आयोजन में शामिल हो सकते है। जो भी कलाकार प्रतिभागी उक्त विधाओं में भाग लेना चाहते है वह अपने विकासखण्डों में अपना पंजीयन एवं भागीदारी सुनिश्चित कर सकते है।

महारा जाति के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने तथा बर्खास्तगी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

» शासन के निर्देश के विपरित हाई पॉवर स्क्रूटनी कमेटी ने जाती प्रमाण पत्र को किया था निरस्त

बिलासपुर (आरएनएस)। प्रदेश में महारा जाति के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने एवं उसके फलस्वरूप बर्खास्तगी किये जाने के एक मामलें में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने उच्च स्तरीय जाती छानबीन समिति के इस पर रोक लगा दी है। इस मामले में यचिकाकर्ता सुखदास नाग ने हाईकोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से जाती प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने के हाईपावर स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

ज्ञात हो कि यचिकाकर्ता सुखदेव नाग बस्तर का मूल निवासी होने के साथ ही महारा जाती के अंतर्गत अनुसूचित जाति में आते है। वे बस्तर क्षेत्र में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ हैं। ध्वनत्मक विभेद होने से उच्चारण विभेद के कारण महार मेहर महरा महारा जाती सभी को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य शासन द्वारा 2017 मे अधिसूचना जारी कर इन उच्चारण विभेद को मान्य करते हुए सभी को जाति का लाभ प्रदान किया गया था। परंतु शासन के निर्देश के विपरित हाई पॉवर स्क्रूटनी कमेटी ने जाती प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने तर्क देते हुए कहा की एक ही राज्य मे एक ही विभाग मे एक ही जाती के कर्मचारियो मे से किसी की जाति प्रमाण पत्र को उच्चारण विभेद का हित लाभ प्रदान करना व याचिकाकर्ता के विषय मे विरोधात्मक निर्णय लेना संविधान के अनुच्छेद 14 वा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का खुला उल्लंघन है।

उक्त तर्को को संज्ञान मे लेते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अगली तिथी तक हाई पॉवर स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है एवं शासन से जवाब मांगा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लांट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480